

तत्काल

विषय:-

वर्ष 2025-2026 के लिए गोपनीय रिपोर्ट के संबंध में सूचना उपलब्ध करवाने बारे।

क्या :

- i) मुख्यमंत्री, हरियाणा/सभी मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
- ii) मुख्य सचिव, हरियाणा/ सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों/विशेष सचिवों/अतिरिक्त सचिवों/संयुक्त सचिवों के निजी सचिव/निजी सहायक।
- iii) सी.पी.एस.सी.एम/पी.एस.सी. एम/ए.पी.एस.सी. एम /ओ.एस.डी.सी.एम. के निजी सचिव व निजी सहायक।
- iv) हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी संयुक्त/उप/अवर सचिवों/ विशेष कार्य अधिकारियों के निजी सहायक/आशुलिपिक।
- v) हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी अधीक्षक/ अनुभाग अधिकारी/उप अधीक्षक/ शाखाध्यक्ष/ पुस्कालयध्यक्ष/ स्थानीय सहायक/ परिचालन सहायक।

कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे?

2 हरियाणा सिविल सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्ष 2025-2026 (1.04.2025 से 31.03.2026) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अप्रैल, 2026 में लिखी जानी है। अतः इस सम्बन्ध में प्रोफोर्मा (भाग-I से III) में दी गई तालिका के अनुसार हरियाणा सिविल सचिवालय के निम्न वर्णित अधिकारियों/कर्मचारियों के वर्गों से सम्बन्धित सूचना दिनांक 25.03.2026 तक भिजवाना सुनिश्चित करें :-

1. मंत्री के विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिव/सचिव
2. निजी सचिव/निजी सहायक/ वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/ आशुलिपिक
3. लिपिक/डाईवर / पलम्बर
4. सेवादार-कम-चौकीदार/दफतरी/ रिकार्ड लिफ्टर/हैड गेट कीपर/गेट कीपर/ गेट मैसेन्जर/लाईनमैन रैक्स/ फराश/स्वीपर-कम-ग्लास कलीनर/केन वर्कर इत्यादि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी।

अधीक्षक, स्थापना-II शाखा

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

- i) मुख्यमंत्री, हरियाणा/सभी मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव,
- ii) मुख्य सचिव, हरियाणा/ सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों/विशेष सचिवों/अतिरिक्त सचिवों/संयुक्त सचिवों के निजी सचिव/निजी सहायक,
- iii) सी.पी.एस.सी.एम/पी.एस.सी. एम/ए.पी.एस.सी. एम /ओ.एस.डी.सी.एम. के निजी सचिव व निजी सहायक,
- iv) हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी संयुक्त/उप/अवर सचिवों/ विशेष कार्य अधिकारियों के निजी सहायक/आशुलिपिक,
- v) हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी अधीक्षक/ अनुभाग अधिकारी/उप अधीक्षक/ शाखाध्यक्ष/ पुस्कालयध्यक्ष/ स्थानीय सहायक/ परिचालन सहायक।

पृ0क0 6 / 1 / 2026-5स्था II

दिनांक, चण्डीगढ़ 17.03.2026

एक प्रति निम्नलिखित प्रत्येक को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है :-

1. प्रधान स्थानीय आयुक्त, हरियाणा सरकार, हरियाणा भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव / राज्यपाल, हरियाणा चण्डीगढ़।
3. सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग।
4. सचिव, सैनिक एवं अर्ध सैनिक वैलफेयर बोर्ड, पंचकूला, हरियाणा।



अधीक्षक, स्थापना-II शाखा

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

शाखा अधिकारी का नाम.....

भाग-1

(इस भाग में कार्यालय/शाखा में वर्तमान में 3 माह से अधिक समय से कार्य कर रहे कर्मचारियों बारे सूचना दी जानी है)

कर्मचारियों का नाम व पिता का नाम	वर्तमान कार्यालय/ शाखा में तैनाती की तिथि	माध्यम जिससे कार्य गुजरता है।	वर्ष के दौरान स्थानान्तरित अधिकारियों के नाम तिथियों सहित

भाग-1A

(इस भाग उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना दी जानी है जिन्होंने वर्ष 2025-2026 में कार्यालय/
शाखा में 3 मास से अधिक कार्य किया हो परन्तु अब वहां नहीं हैं।)

कर्मचारियों का नाम व पिता का नाम	कार्यालय/शाखाओं में तैनाती की तिथि	माध्यम जिससे कार्य गुजरा	वर्ष के दौरान स्थानान्तरित अधिकारियों के नाम तिथियों सहित

भाग-1AA

(इस भाग में उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना दी जानी है जिन्होंने वर्तमान कार्यालय/
शाखा में तीन महीने कार्य न किया हो परन्तु वर्ष 2025-2026 में किसी अन्य शाखा में तीन महीने से
अधिक कार्य किया हो)

कर्मचारियों का नाम व पिता का नाम	समय जिसमें दूसरी शाखा में कार्य किया था तथा शाखा का नाम भी	माध्यम जिससे कर्मचारी का कार्य गुजरता था।	अधिकारियों के नाम तथा पद संज्ञा